

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 159/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/550

उनवान

1. अभयसिंह पुत्र गमेरसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)प्रार्थी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र हीरालाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. उदीबाई पुत्री नारायणलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. गीतादेवी पत्नी स्व० हजारी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
- 4/1 सत्यनारायण पिता जगदीश माली निवासी सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर।
- 4/2 चन्दा पिता जगदीश माली निवासी सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. जमना पुत्री हजारी पत्नी प्रकाश जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी कोठियारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. दलीचन्द पुत्र हीरालाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. प्रकाशचन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पुरणमल पुत्र हीरालाल जाति माली,, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. बंशीलाल पुत्र नारायण जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पुरालाल पुत्र हीरालाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. मांगीलाल पुत्र नारायणलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. मोहन पुत्र किशनलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. मोहनीबाई पत्नी नाथुलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. रेखा पुत्र नाथुलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. रूपलाल पुत्र भेरा जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. लीला पुत्री हजारी पत्नी कन्हैयालाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी कोठियारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
17. सोहनलाल पुत्र नाथुलाल जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. उंकारसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)



19. किशनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक
20. प्रमीला कुंवर पत्नी दशरथ सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. मीनु कुंवर पुत्री करणसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. राम कुंवर पुत्री करणसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. शंकर सिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. सुमन कुंवर पत्नी गणपतसिंह चौहान जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. धापु कुंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मानखण्ड तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. भगवत सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
27. लेहर सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. दिनेश चन्द्र गोयल पुत्र मीठालाल गोयल जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. बसन्ती लाल गोयल पुत्र मीठालाल गोयल जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. जगदीश पुत्र राधेश्याम जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. संजय पुत्र राधेश्याम जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. कन्नी बाई पत्नी गणेश जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. जानी बाई पुत्री गणेश जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
34. तुलसीराम पुत्र खुमराज जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
35. दुर्गा पुत्री गणेश जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. प्यारी पुत्री खुमराज जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
37. रामलाल पुत्र, खुमराज जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
38. वरजु पुत्री खुमराज जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. नाबालिग श्यामलाल पुत्र गणेश संरक्षक कनीबाई जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. भेरूसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. मोहनसिंह पुत्र स्व० प्रतापसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
42. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

- उपस्थित :- 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 28 से 31।
3. श्री राहुल जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 18, 25, 26, 27।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 16.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3832, 6115/3838, 6118/3831, 6119/3833, 6120/3836, 6121/3837, 6122/3856 किता 7 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ोस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमांकन कर चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमियों की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 41 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो मेरी कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनके अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। ताईद में मुझ प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री सम्पत सामोता द्वारा विपक्षी संख्या 28 से 31 एवं अधिवक्ता श्री राहुल जैन द्वारा विपक्षी संख्या 18, 25, 26, 27 का वकालत पत्र पेश किया गया। शा.फा. रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 31 पर दर्ज आराजी नम्बर 3832, 6115/3838, 6118/3831, 6119/3833, 6120/3836, 6121/3837, 6122/3856 किता 7 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है।

प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण घोषणा से संबंधी नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। साथ ही न्यायालय का मानना है कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है। इसके तहत केवल मात्र सीमा जानकारी करवाकर पत्थरगड़ी की जानी है। सीमा संबंधी विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 31 पर दर्ज आराजी नम्बर 3832, 6115/3838, 6118/3831, 6119/3833, 6120/3836, 6121/3837, 6122/3856 कित्ता 7 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर चारो दिशाओं में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगड़ी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर